



## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या २२५६ ( I ) / २०१६-१७

आवेदन व अधिसूचना का तिथि  
निर्गत तिथि ०३।८।१७  
४।८।१७  
५।८।१७

### (१) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
०५।८।१६	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती...रमेशु...टेटी..... पिता/पति श्री...अर्जुन किंद्र. तुलाधर..... साकिम. मंगला. ली. २३२ थाना. लालौभाइ..... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा....टिलूनाथुर..... मौजा नं०.....०५..... खाता नं०.....२३..... स्लॉट नं०.....६०.....  ..... रकवा २. क्लॉ. १५. ६८५५. दलील सू०.....५३८५..... दिनांक २०।८।१६..... २०।८।१६ पर द्वारा श्री/श्रीमती....टिलूनाथुर..... जोति..... से प्राप्त किया है।  मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु है, इस बीच आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक..... २०।८।१६ पर उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमाबदी सं० २१६३..... में विक्रेता को/विक्रेता के तिकेल..... .....रुपेश..... के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निर्बन्धित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निवधन धनबाद/ कलुकत्ता निवधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर्मुद्रिका की पाणि को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करालिया गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, बन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक को जाँच प्रतिवेदन सुन्व अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को..... ..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगो। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा। लेरखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी धनबाद।</p> <p>मैंने मिलान किया संदर्भक</p>	
२०।८।१६	<p>शुद्धि पत्र ब्रात्त किया</p> <p>प्रभागित सच्ची प्रतिलिपि</p> <p>प्रधान सहायक अंचल कार्यालय</p>	

मेरे द्वारा कोठो कोपी  
कैसा यथा

प्रतिलिपि/तंकक  
४।८।१७

आदेश दी प्रिये ०३१८०/४५  
अधिकारी हल्का सं. १८ तिथि २०१७  
निर्मित तिथि

## नीहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुल्क-पत्र

धनबाद, अनुमठल -धनबाद अंचल -धनबाद, हल्का सं. १०-१० स्टेट का नाम - झारखण्ड



क्रम	पंजी संख्या २७ में नामान्तरण केस संख्या	गाँव थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण पंजी कर्तवयाला प्राप्तिकार आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनियम, उत्तिविकार या चटवारा हुआ है?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई?	अभ्युक्ति प्रमाणित	सच्ची प्रतिलिपि
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

विक्री/उत्तराधिकारी  
दलील संख्या ५७४३  
दिनांक ३०/११/१६

पुराना जमा:- २१६७  
पुराना रैयत:- श्री विष्णुनाथ लाल  
नया रैयत:- श्री महेश्वरी  
श्री श्री अद्वित उपाधि  
सा - भवन ई २३३ मनाडी  
बाघार, धनबाद।

जमा सं. में दर्ज किया

अंचल अधिकारी  
धनबाद

कोपी

कर्मचारी हल्का सं. १० (१) को जानकारी और आवश्यक कारखाने के लिए भेजी जाती है।

जापांक संख्या

ता०..... २०.....

कोपी द्वारा फोटो कोपी

मैंने मिलान किया